उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-76/2020/1192/92-2-2020-55एम(जांच)/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 19 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अख्तर अली अन्सारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतो में 56 गलियों जिसमें ग्राम पंचायत लोढवारा की तीन गलियों-1- हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 145 मीटर। 2- रामप्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 375 मीटर। 3- राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 120 मीटर। के निर्माण कार्य मानक के विपरीत व निम्न कोटि का कराये जाने व समस्त कार्य डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना की गाइड लाइन के अनुसार न कराये जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न गलियों में कार्य की लम्बाई में बिचलन होने, मार्ग के अधिकांश कान्ट्रेक्शन ज्वाइन्टस निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर होने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2042/92-2-2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री अख्तर अली अन्सारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 28.03.2020 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोतिप आरोप संख्या-1 को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संगत अभिलेखों के सापेक्ष जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-1 को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

2- अपचारी अधिकारी श्री अख्तर अली अन्सारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2042/92-2-2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री अख्तर अली अन्सारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

2....

संख्या-76/2020/1192(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जांचअधिकारी/मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- श्री अख्तर अली अन्सारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड श्रावस्ती द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।